बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् की आहूत सातवीं बैठक की कार्यवाही

दिनांक–22.04.2022, समय : 11.00 पूर्वाह्न

उपस्थितिः– यथा पंजी

श्री पी० आर० सिन्हा, विशेषज्ञ सदस्य ने सूचित किया कि वे पारिवारिक कारणों से बैठक में भाग लेने में असमर्थ हैं।

1. छठी बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी।

2. बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् की छठी बैठक की कार्यवाही का अनुपालन पर्षद् के समक्ष रखा गया। वर्ष 2018–19 के आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट में गैर–वेतन मद के कई कार्यों को वेतन मद से खर्च किया गया है। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि इसकी जाँच कर पूर्ण प्रतिवेदन पर्षद् की अगामी बैठक में रखा जाये।

3. बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के कर्मियों की सेवा नियमावली बनाने के संबंध में विचार–विमर्श हुआ। निर्णय लिया गया कि तकनीकी विशेषज्ञो/वैज्ञानिकों के विभिन्न स्तर होंगे जो आवश्यकतानुसार निर्धारित समय के लिए संविदा पर रखा जाये। कार्यालय के तृतीय वर्ग के कर्मियों के लिए विभिन्न स्तरों के पद सृजित किये जाये तथा उनकी सेवा नियमावली तैयार कर बोर्ड के समक्ष रखी जाये। राजपत्रित पदाधिकारियों के विभिन्न पदों पर को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जायेगा।

4. वर्ष 2022–23 के लिए स्वीकृत बजट के अनुसार विभिन्न अवयवों के कार्यों एवं उनपर व्यय के लिए प्रस्तावित राशि अनुमोदित की गयी। वर्ष 2022–23 में प्राप्त आवंटन के विरूद्ध प्रस्तावित व्यय/व्यय की व्याख्यात्मक टिप्पणी में टंकण भूल के कारण वर्ष 2022–23 की जगह वर्ष 2021–22 अंकित हो जाने के कारण उसे संशोधित करते हुए अनुमोदन किया गया।

5. (i) वर्ष 2022–23 की वार्षिक कार्य योजना में वचनबद्ध व्यय के लिए राशि अनुमोदित की गयी।

(ii) योजना संख्या–3 (1) High Resolution Satellite Imagery द्वारा नालन्दा जिले के प्राकृतिक वनों तथा उसके बाहर के क्षेत्रों में हरित आवरण का आकलन इसके संबंध में, निर्णय लिया गया कि वर्त्तमान में Satellite Imagery Liss-IV से हरित आवरण का आकलन भारतीय वन सर्वेक्षण (FS1) द्वारा किया जा रहा है अतः भारतीय वन सर्वेक्षण (FS1) के आकड़ों के लेते हुए लगभग 10 वर्ष पूर्व के हरित आवरण के आकलन का तुलनात्मक विश्लेषण भी किया जाय। उपर्युक्त टिप्पणी के साथ योजना कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत की गयी।

(iii) योजना संख्या–3 (2) बिहार की जैव विविधता को संरक्षित तथा संवर्द्धित करने की कार्य योजना संख्या (क, ख, ग एवं घ) पर सुझाव दिया गया कि इसमें कृषि विभाग, एवं कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को इस कार्य में सम्मिलित कर उनके सुझाव लिये जायें। इन विशेष क्षेत्रों में अन्य विषय वस्तु विशेषज्ञों की भी राय ली जाय। इस योजना के सभी अवयवों का कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत की गयी।

(iv) योजना संख्या–3 (3) जन जैव विविधता पंजी का उन्नयन तथा प्रखण्ड एवं जिला स्तरीय जैव विविधता प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण, योजना संख्या–3 (4)–जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन तथा योजना संख्या–3 (5)–बिहार राज्य जैव विविधता कार्य योजना (Bihar State Action Plan on Biodiversity) को कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत किया गया।

(v) योजना संख्या–3 (6)–बिहार की देशज प्रजातियों के सर्वेक्षण एवं संरक्षण के संबंध में सुझाव दिया गया कि वृक्षों का फोटो अपलोड (Photo Upload) करने के साथ उसके बारे में विवरण भी अपलोड किया जाये। विशेषज्ञों तथा संस्थाओं को भी इसमें सम्मिलित करने के लिए उनका एक पैनल तैयार किया जाये तथा प्रजातियों की पहचान आदि कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार एक MoU के माध्यम से उन्हें इस योजना के कार्यान्वयन में सम्मिलित किया जाय। इस कार्य पर व्यय का एक प्राक्कलन तैयार कर विस्तृत योजना को अगली बैठक में रखा जाये।

6. बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के कार्यालय भवन हेतु राशि का आवंटन तथा भवन निर्माण के लिए राशि का प्रावधान के लिए प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा निर्णय लिया गया कि यह श्रेयस्कर होगा, यदि भवन किसी संबंधित संस्था यथा कृषि, पशुपालन इत्यादि के परिसर में बने ताकि उस संस्था का भी लाभ मिल सके। तत्संबंधी प्रस्ताव सरकार को प्रेषित किया जाये।

7. सदस्यों को सूचित किया गया कि बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् का "लोगो" कला एवं शिल्प महाविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय द्वारा तैयार करा लिया गया है।

13/5/22
(के० गणेश कुमार)
सचिव,
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना।

11.5.22
(डी० के० शुक्ला)
अध्यक्ष,
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना।

ज्ञापांक वी/ओ 285, दिनांक 18 मई 2022

प्रतिलिपिः–

(1) अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार पटना।

(2) सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

(3) सचिव, कृषि विभाग, पटना।

(4) सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

(5) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना।

(विशेषज्ञ सदस्य)

(1) श्री पी० आर० सिन्हा, सेवानिवृत्त, निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून एवं कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिव आई० यू० सी० एन०, इंडिया, राष्ट्रीय वन्यजीव पर्षद् के सदस्य।

(2) डॉ० द्विजेन्द्र नाथ सिंह, सेवानिवृत्त, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरूणाचल प्रदेश एवं पूर्व सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 18/5/22
(डॉ० के० गणेश कुमार)
सचिव,
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना।

ज्ञापांक वी/ओ 285, दिनांक 18 मई 2022

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना सूचनार्थ प्रेषित।

ह० 18/5/22
(डॉ० के० गणेश कुमार)
सचिव,
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना।